

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 263/2021

प्रार्थी
तहसीलदार बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 पताराम पुत्र हमीराराम 2 पोकराराम 3 फूसाराम पिसरान
भारूराम 4 पूनमा पुत्र पनाराम 5 नन्दराम पुत्र तिलोकाराम
6 भगाराम पुत्र तुलछाराम 7 चौखा पुत्र गोरधन जाति जाट
निवासी जाखड़ासर तहसील व जिला बाड़मेर।

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132

दिनांक 11/01/23

आदेश

तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक शिविर/21/22/23 दिनांक 10.11.2021 द्वारा स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक तथा ग्राम पंचायत नांद के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.07.2022 तथा अनापति प्रमाण पत्र एसपीएल-01 दिनांक 20.07.2022 एवं परिशिष्ट 'अ' का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया, जिसके अनुसार मौजा जाखड़ासर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर में खातेदारों की आपसी सहमति से जाखड़ासर से धतरवालों की ढाणी तक रास्ता मौके पर खुला हुआ है, जिसकी लम्बाई 01.500 किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल 03.12 बीघा है, जो मौके पर रास्ता चालू है, परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। साथ ही तहसीलदार बाड़मेर एवं ग्राम पंचायत नांद का प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.07.2022 तथा अनापति प्रमाण पत्र एसपीएल-01 दिनांक 20.07.2022 में उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

पटवार मण्डल - नांद


तहसील - बाड़मेर


नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टी

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टी						नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टी				
क्र. सं.	जीसीएसपीएल पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाग	खसरा नम्बर	कुल रकबा (बीघा में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्ते की लम्बाई-चौड़ाई (फीट में)	रास्तों में प्रभावित रकबा (बीघा में)	किस्म जमीन
1	2021/382	23/10.11.2021	जाखड़ासर	343/114	10.08	वा.सो.	343/114	712 x 10	0.11	गै.मु. सारता
2	2021/382	23/10.11.2021	जाखड़ासर	337/114	38.18	वा.सो.	337/114	1155 x 20	0.18	गै.मु. सारता
3	2021/382	23/10.11.2021	जाखड़ासर	339/114	43.09	वा.सो.	339/114	1109 x 10	0.14	गै.मु. सारता
4	2021/382	23/10.11.2021	जाखड़ासर	342/114	22.18	वा.सो.	342/114	745 x 10	0.08	गै.मु. सारता
5	2021/382	23/10.11.2021	जाखड़ासर	341/114	19.06	वा.सो.	341/114	476 x 10	0.05	गै.मु. सारता
6	2021/382	23/10.11.2021	जाखड़ासर	340/114	20.19	वा.सो.	340/114	594 x 10	0.08	गै.मु. सारता
7	2021/382	23/10.11.2021	जाखड़ासर	459/124	20.19	वा.सो.	459/124	328 x 20	0.08	गै.मु. सारता

नोट :- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर


उपखण्ड अधिकारी